न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक

(श्री कैलाश चन्द गुर्जर, आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

अपील संख्याः—15/2018

निर्णय दिनांकः— 05.02.2019

उनवान

1.आशाराम पुत्र कजोड जाति मीना निवासी ग्राम गुदलियां तहसील उनियारा जिला टोंक

2.छोटू पुत्र कजोड जाति मीना निवासी ग्राम गुदलियां तहसील उनियारा जिला टोंक

3.परसराम पुत्र कजोड जाति मीना निवासी ग्राम गुदलियां तहसील उनियारा जिला टोंक

4.विष्णु पुत्र कजोड जाति मीना निवासी ग्राम गुदलियां तहसील उनियारा जिला टोंक

5.सियाराम पुत्र कजोड जाति मीना निवासी ग्राम गुदलियां तहसील उनियारा जिला टोंक

—अपीलान्टस

बनाम

1.तहसीलदार तहसील उनियारा जिला टोंक

2.सरपंच ग्राम पंचायत रूपवास तहसील उनियारा जिला टोंक

—रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 335 दिनांक 05.09.2017
ग्राम पंचायत रूपवास

उपस्थितः— श्री हरिराजसिंह वकील अपीलान्टस
पेरोकार सरकार तहसीलदार उनियारा

निर्णय

अपीलान्टस द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः—

यह कि प्रार्थीगण अपीलान्टस ने वर्तमान आराजी खाता संख्या 25—26 ग्राम संग्रामपुरा तहसील उनियारा के खातेदार मनभर देवी उर्फ सुरज्ञानी पुत्री औंकार जाति भील निवासी नादया की ढाणी संग्रामपुरा के हिस्से 1/5 को सम्पूर्ण जमीन जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 26.8.2016 को कय कर ली थी । जिसका नामान्तरकरण संख्या 335 दिनांक 5.9.2017 का दायर हुआ है और प्रकियाधीन होना बताया गया है। अपीलान्टस द्वारा पटवारी हल्का रूपवास से सम्पर्क करने पर बताया कि कापरडेम के डूब क्षैत्र मे

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

Scanned by CamScanner

संग्रामपुरा आने से नामान्तरकरण खारिज हो गया, जबकि बेचाननामा पंजीबद्व होते ही एक प्रति अपीलान्टस द्वारा सम्बन्धित पटवारी हल्का को सुपुर्द कर दी थी। रेस्पोडेन्ट द्वारा समयावधि मे अपीलान्टस के पक्ष मे नामान्तकरकरण तस्दीक नही करते हुये उस पर कोई कार्यवाही नही की तथा श्रीमान अ0 कलेक्टर पुर्नवास एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी महोदय के आदेश कमांक 422 दिनांक 11.9.2017 से ईसरदा डेम के डूब क्षैत्रफल की आराजी के मालिकाना हक मे बदलाव पर रोक लगा दी, जिस कारण नामान्तरकरण सं0 335 जो कि आदेश से पहले ही दर्ज था को बदस्तुर कर दिया है, जबकि रजिस्टर्ड बेचान के आधार पर मालिकाना हक अपीलान्ट्स को ही जाता है। जिसकी स्वीकृति से परियोजना विभाग को दोहरा भारोपित नही है। नामान्तरकरण सं0 335 ग्राम पंचायत रूपवास सरपंच ने अपने अधिकार क्षैत्र से परे जाकर खारिज किया है।

अपीलान्ट का निवेदन है कि नामान्तरकरण सं0 335 दिनांक 5.9.17 ग्राम पंचायत रूपवास तहसील उनियारा को पुनः बहाल कर अपीलान्टस को उनकी खरीदशुदा आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

उक्त अपील पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ते ली जाकर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस को जरिये नोटिस तलब किया गया।

पेरोकार सरकार तहसीलदार उनियारा के द्वारा अपील का जवाब प्रस्तुत किया कि अपीलान्टस द्वारा कय की गई आराजी का विकय पत्र दिनांक 26.8.2016 को तस्दीक पंजीयन किया गया। जिसका नामान्तरकरण दिनांक 5.9.2017 को प्रस्तुत होने पर पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 17.9.2017 को तस्दीक किये जाने हेतु प्रस्तुत किया। किन्तु सरपंच ग्राम पंचायत रूपवास द्वारा दिनांक 20.9.2017 को खारिज किया गया है। ए डी एम सा बीसलपुर परियोजना के तहत दिनांक 11.9.2017 को रोक लगाई गई थी।

उभय पक्षों की बहस सुनी गयी। बहस पर गेर किया गया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। मनभर पुत्री उंकार जाति भील सा0 संग्रामपुरा द्वारा किये गये विकय पत्र 201603134100871 दिनांक 26.8.2016 आराजी ख0न0 165, 166, 167, 168, 170, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188 व आराजी ख0न0 169 वाके ग्राम संग्रामपुरा का नामान्तरकरण सं0 335 दिनांक 5.9.2017 को प्रविष्ट किया गया है। पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 17.9.2017 को विकय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण भरकर पेश किया गया है। जिस पर भू0अ0निरीक्षक द्वारा जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है कि मुताबिक रिपोर्ट पटवारी अंकन सही है, किंतु विकीत सम्पूर्ण आराजी ईसरदा

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

Scanned by CamScanner

बांध के डूब क्षैत्र मे है, जिसके लिये श्रीमान ए डी एम सा बीसलपुर परियोजना ने अपने पत्र कमांक 422 दि0 11.9.17 से मालिकाना हक मे किसी भी प्रकार के बदलाव पर रोक लगा दी है। उक्त नामान्तरकरण को सरपंच ग्राम पंचायत रूपवास प0स0 उनियारा द्वारा अस्वीकार किया गया है।

अपीलान्ट के वकील द्वारा नामान्तरकरण संख्या 348 दिनांक 16.5.18 की सत्य प्रतिलिपी प्रस्तुत की है, जो विकय पत्र रजिस्ट्रीकरण संख्या 201703134100352 दिनांक 24.4.2017 से इसी आराजीयात से सम्बन्धित है , जिसे तहसीलदार उनियारा द्वारा दिनांक 28.12.2018 को इस टिप्पणी अधिशाषी अभियंता ईसरदा परियोजना खण्ड टोंक के पत्रांक 524 दि0 23.7.2018 के अनुसार रजिस्ट्री मे वर्णित खसरा नम्बरों के बेचान गजट प्रकाशक की तारीख से पूर्व का है, इस कारण रजिस्ट्री अनुसार नामा. तस्दीक होता है तो विभाग को कोई आपत्ति नही होने से रिपोर्ट पटवारी जांच आई एल आर एवं मुताकिब विकय पत्र केता के पक्ष मे नामा0 स्वीकार किया गया है।

अपीलान्ट के द्वारा भूमि जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 26.8.16 के द्वारा कय की गई है। इसके बाद रजिस्टर्ड विकय पत्र द्वारा विकित की गई भूमि के नामान्तरकरण भरा जा चुका है।

अतः अपील अपीलान्ट सवीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 335 दिनांक 5.9.2017 को खारिज किया जाकर तहसीलदार उनियारा को आदेशित किया जाता है कि वे उक्त नामान्तरकरण की पुनः जांच कर अधिशाषी अभियंता ईसरदा परियोजना खण्ड टोंक के पत्रांक 524 दि0 23.7.2018 के अनुसार अपीलान्टस द्वारा जरिये रजिस्ट्री दिनांक 26.8.2016 द्वारा कय की गई भूमियों का नियमानुसार अपीलान्टस के पक्ष मे नामान्तरकरण तस्दीक करे।

यह निर्णय आज दिनांक 05.02.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(कैलाश चन्द गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, उनियारा
उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

Scanned by CamScanner